न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रदीप सिंह सांगावत (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :–05/2017 (विविध)
आरसीएमएस संख्या :– 2017/00097

उनवान

1. रामपति पत्नी समन्दर सिंह } जाति जाटव निवासी नगला बमूरी तहसील बयाना जिला
2. चन्द्रवती पुत्री नथोली } भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मान सिंह } पुत्रान रामोली
2. मोहन सिंह
3. कुमरपाल सिंह }
4. सोहन सिंह } पुत्रान उम्मेदी } जातियान जाटव निवासीयान नगला बमूरी तह0 बयाना
5. जीतेन्द्र } जिला भरतपुर।
6. बबली पुत्री उम्मेदी
7. राजवती पत्नी उम्मेदी

.....रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना दि0 20.10.2016 प्र0स 115/15 उनवान मान सिंह बनाम रामपति

अभिभाषकगण :–

1. श्री गोविन्द सिंह डागुर अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री गम्मन सिंह अधिवक्ता रैस्पो0 उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :– 30.04.2019

1. यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बयाना के निर्णय दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र प्रत्यास्थापना इन्द्राज खातेदारी किये जाने धारा 144 जा0 फौ0 व सिलसिले फैसला व डिक्री दिनांक 31.01.2014 उनवानी मान सिंह बनाम रामपति न्यायालय हाजा विरूद्ध अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 05 कुल रकवा 1.98 है0 वाके ग्राम श्रीनगर तहसील बयाना में स्थित है। वादी/अपीलाण्ट द्वारा एक नियमित वाद उक्त आराजीयात

को खातेदारी घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उप जिला कलक्टर बयाना में स्थापित किया जो उनवानी मुकदमा मुस0 रामपति बनाम शिवचरन के नाम से प्रकरण संख्या 711/2008 विचाराधीन रहा उक्त प्रकरण में वादी/अपीलाण्ट ने चालाकी से प्रतिवादी/रैस्पो0 से छिपाते हुये सम्मन एक तरफा तामील कुनिन्दा से मिल कर चस्पा कराई और अधीनस्थ न्यायालय में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में कराई जाकर अपने हक में दिनांक 26.09.2008 को एक पक्षीय डिक्री पारित करा लिया एवं उक्त डिक्री की इजराय प्रस्तुत कर उसको मंजूर कराते हुये पूर्व में दर्जित खातेदारी राजस्व अभिलेख को कलमजन कराते हुये अपने हक में दाखिला खारिज संख्या 71 मंजूर करा लिया। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर प्रतिवादी/रैस्पो0 ने अपील न्यायालय हाजा में पेश की उक्त अपील न्यायालय हाजा से दिनांक 31.01.2014 को स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26.09.2008 अपास्त कर दिया। उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी/रैस्पो0 का प्रार्थना पत्र धारा 144 स्वीकार करते हुये अपीलाधीन आदेश से वादी/अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर दिये। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रैस्पो0 को तलव किया गया।

3. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने दौराने अपील एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 18.10.2001 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने एक अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में कर रखी थी। उक्त अपील का निर्णय माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक 01.02.2018 से मान सिंह रैस्पो0 के पक्ष में हो गया है। अतः अपीलाण्ट की हस्तगत अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावें।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र अस्पष्ट एवं वेग कथनों पर प्रस्तुत किया है प्रार्थना पत्र में रैस्पो0 अधिवक्ता क्या चाहते हैं स्पष्ट अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध अपीलाण्ट ने रिट माननीय उच्च न्यायालय में कर रखी है। ऐसी सूरत में अभी तक कोई निर्णय/आदेश अंतिम नहीं हुआ है। अतः अपील खारिज नहीं हो सकती है। प्रार्थना पत्र रैस्पो0 खारिज किया जावें

5. पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट माननीय राजस्व मण्डल राज0 के आदेश दिनांक 01.02.2018 के विरूद्ध रिट माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन होना कथन करते हैं। परन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय राज0 अजमेर से कोई स्थगन प्रति अपीलाण्ट द्वारा पेश नहीं की गयी है। इसके विपरीत न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.10.2001 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर से दिनांक 01.02.2018 को खारिज की जाकर, न्यायालय हाजा का आदेश दिनांक बहाल रखा गया है। बिना स्थगन हस्तगत अपील को माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के निर्णय दिनांक

Web Copy - Not Official

01.02.2018 के रहते, लम्बित रखना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट इसी स्तर पर खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 20.10.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official